[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 20/2018 - सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक10 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और बंगलादेश (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "फिशिंग नेट" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 5608 11 10 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में और अधिसूचना संख्या 14/44/2016-डीजीएडी, दिनांक 05 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि–

(i) प्रश्नगत उत्पाद भारत को विषयगत देशों से समान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया था, जिसके कारण इसकी यहां भरमार हो गई ।

(ii) विषयगत देशों से आयातित इस प्रश्नगत उत्पाद की भरमार के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है ।

(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से हुए फालतू आयात के कारण हुई है ।

और घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए, विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट इकाई के अनुसार तथा कॉलम (8) में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र. सं.	शीर्ष/उप शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि अ..डॉ. में	माप इकाई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	5608 11 10	फिश नेट या फिशिंग नेट**	चीन	चीन	चोहू टेंगड़ा फिशिंग गियर कं.लि.	एंग्हुई लाईट इंडस्ट्रीज़ इंटरनेशनल कं. लि.	1.51	किलो ग्राम
2.	5608 11 10	फिश नेट या फिशिंग नेट	चीन	चीन	(1) में उल्लिखित से भिन्न कोई भी संयोजन		2.19	किलो ग्राम
3.	5608 11 10	फिश नेट या फिशिंग नेट	चीन	कोई भी	कोई भी	कोई भी	2.19	किलो ग्राम
4.	5608 11 10	फिश नेट या फिशिंग नेट	कोई भी	चीन	कोई भी	कोई भी	2.19	किलो ग्राम
5.	5608 11 10	फिश नेट या फिशिंग नेट	बंगलादेश	बंगलादेश	कोई भी	कोई भी	2.69	किलो ग्राम
6.	5608 11 10	फिश नेट या फिशिंग नेट	बंगलादेश	कोई भी	कोई भी	कोई भी	2.69	किलो ग्राम
7.	5608 11 10	फिश नेट या फिशिंग नेट	कोई भी	बंगलादेश	कोई भी	कोई भी	2.69	किलो ग्राम

** "फिश नेट" या "फिशिंग नेट" का इस अधिसूचना से अभिप्राय है फिश नेट या फिशिंग नेट जो कि केवल नायलॉन से बने हों - चाहे यह शतप्रतिशत शुद्ध हों या मिश्रित, और मिश्रित के मामले में इसमें वे फिश नेट या फिशिंग नेट भी आते हैं जिनमें भार के हिसाब से 50% या इससे अधिक का नायलॉन होता है, और इसमें एचडीपीई फिश नेट या फिशिंग नेट नहीं आते हैं ।

2. लगाए गए या प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण **-** इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या 354/74/2018 - टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार